झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

2. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–II के पश्चात अध्याय– II A का समावेश।

3. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–4 के पश्चात अध्याय– 4 (क) का समावेश।

4. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–12 के पश्चात अध्याय– 12 (क) का समावेश।

5. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–13 के पश्चात अध्याय– 13 (क) का समावेश।

6. राँची नगर निगम अधिनियम, 2001 के अध्याय– V के पश्चात अध्याय– V "A" का समावेश।

7. राँची नगर निगम अधिनियम, 2001 के अध्याय– X के पश्चात अध्याय– X "A" का समावेश।

8. राँची नगर निगम अधिनियम, 2001 के अध्याय– XXXII के पश्चात अध्याय– XXXII "A" का समावेश।

9. राँची नगर निगम अधिनियम, 2001 के अध्याय– XXXIII के पश्चात अध्याय– XXXIII "A" का समावेश।

झारखण्ड अधिनियम एवं विधेयक

झारखण्ड राज्य के नगरपालिकाओं से संबंधित विधियों के संशोधन के लिए विधेयक

झारखण्ड सरकार नगरपालिकाओं के सम्यक् संचालन हेतु तथा उनके द्वारा स्वशासन एवं सुशासन हेतु विभिन्न स्तरों पर नगरीय स्व–शासन में भागीदारी, नगरपालिका लोकपाल की स्थापना, नगरपालिकाओं के लिए राज्य सम्पत्ति कर बोर्ड की स्थापना एवं नगरपालिकाओं से संबंधित सूचनाओं को आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती है ।

यह प्रस्तावित है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1922 को संशोधित कर उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों को लागू किया जाए ।

अतः भारतीय गणतंत्र की 62वें वर्ष में झारखण्ड नगरपालिका कानून(संशोधन) विधेयक, 2011 निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :

झारखण्ड नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

भाग – I

प्रारम्भिक

1. (I) यह विधेयक झारखण्ड नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2011 कहा जायेगा ।

(II) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा ।

भाग–II

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1922 में संशोधन

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–II के पश्चात् अध्याय–IIA जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा :

अध्याय – II A

सामुदायिक सहभागिता

वार्ड समितियों, क्षेत्र सभाओं एवं अन्य समितियों का गठन

57. (क) वार्ड समितियों का गठन (1) परिषद के निर्वाचन के दो महीनों के भीतर नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति गठित की जायेगी।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में शामिल होंगे–

(क) नगरपालिका वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद, जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) वार्ड में स्थित क्षेत्रों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधि;

(ग) वार्ड से सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक, परिषद द्वारा यथा विहित रीति से नामित व्यक्तिः

परंतु यह कि यदि वार्ड की जनसंख्या पांच हजार से अधिक नहीं है तो प्रथम दो हजार की जनसंख्या पर ऐसे सदस्यों की संख्या चार होगी और उसके पश्चात् प्रत्येक दो हजार की आबादी अथवा उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सदस्य होगाः

परंतु यह और कि खण्ड (ग) अधीन नामित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य वार्ड में पंजीकृत कल्याण संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से होंगेः

परन्तु यह भी कि खण्ड (ग) के अधीन नामित सदस्यों में पचास प्रतिश्त से अन्यून महिलायें होंगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए "सिविल सोसाइटी" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित, गठित या पंजीकृत तथा सामाजिक कल्याण में कार्यरत कोई गैर सरकारी संगठन या व्यक्तियों की संस्था अभिप्रेत है, और इसमें कोई समुदाय आधारित संगठन, वृत्तिक संस्था और नागरिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक या सांस्कृतिक निकाय या कोई व्यापार या औद्योगिक संगठन और ऐसे अन्य संघ या निकाय, जैसा राज्य सरकार विहित करे, शामिल होंगे।

(3) कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन वार्ड समिति का सदस्य नामित किए जाने के लिए या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन वह नगरपालिका के पार्षद के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए अनर्ह हो।

(4) वार्ड समिति का अध्यक्ष नगरपालिका के कार्यो से सम्बद्व किसी सरकारी विभाग के पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, उस विभाग से संबंधित समस्याओं के संबंध में भाग लेने के लिए विशिष्ट आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता हैः

परंतु यह कि वार्ड समिति का अध्यक्ष सिविल सोसाइटी, जिसका वार्ड सभा में प्रतिनिधित्व न हो के किसी प्रतिनिधि को समिति की बैठकों एवं विचार–विमर्श में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकता है।

(5) नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नामित कोई पदाधिकारी वार्ड समिति का सचिव होगा। सचिव, वार्ड समिति की बैठकों की कार्यवाही का सम्पूर्ण कार्यवृत्त रखेगा और प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ, बैठक के दस दिन के भीतर नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित करेगा।

(6) वार्ड समिति की समयावधि परिषद की समयावधि की सह–विस्तारी होगी।

(7) वार्ड समिति की बैठकों में कारोबार का संचालन राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार होगा।

57. (ख) वार्ड समिति के कृत्य

वार्ड समिति, वार्ड में निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी:

(i) पर्यवेक्षण

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,

(ख) सफाई कार्य,

(ग) जलापूर्ति का वितरण,

(घ) पार्क, क्रीड़ांगन एवं बाजार स्थलों का अनुरक्षण,

(ङ) मार्ग प्रकाश का रख–रखाव, सड़कों की मरम्मत, तथा

(च) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं का क्रियान्वयन;

(ii) नगरपालिका के नियंत्रण वाले स्कूलों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की मानीटरिंग;

(iii) विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता;

(iv) नगरपालिका के परिसंम्पत्तियों की सूची तैयार करना

(v) जनता के विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द एवं एकता बनाने हेतु प्रोत्साहित करना;

(vi) कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और सामान या धन के रूप में दान संघटित करना;

(vii) विकास एवं कल्याण योजनाओं के कियान्वयन में लाभर्थियों को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करना;

(viii) कला एवं सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा एवं खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन;

(ix) नगरपालिका की विकास परक गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्वैच्छिक गतिविधियों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना;

(x) नगरपालिका को देय कर, शुल्क तथा अन्य धनराशि की वसूली में मदद देना;

(xi) अन्य कृत्य, जैसा विहित किया जाये।

57. (ग) वार्ड समिति के अधिकार

(1) वार्ड समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वार्ड से संबंधित किसी भी मामले में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से सूचना मांगने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति को अधिकार होगा –

(क) नगरपालिका के मास्टर प्लान एवं विकास योजनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करना,

(ख) वार्ड से संबंधित किसी मामले में नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करना,

(ग) नगरपालिका के बजट एवं वार्ड संबंधी राजस्व के मामलों में सूचना प्राप्त करना, तथा

(घ) वार्ड के अन्तर्गत भूमि के उपयोग एवं क्षेत्रीय विनियमन में परामर्श लिया जाना।

57. (घ) निधियों का आवंटन

(1) नगरपालिका अपने अनुरक्षण उपबन्ध के अन्तर्गत उद्दिष्ट बजट से बीस प्रतिशत धनराशि वार्ड समितियों को, जलापूर्ति, सफाई, नालियों, मार्ग प्रकाश, पाक्र, बाजार आदि सेवाओं हेतु आवंटित करेगी।

(2) नागरिक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु वार्ड समितियों को धनराशि का आवंटन एवं उसका उपयोग सरकार द्वारा विहित रीति में किया जायेगा।

57. (ङ.) उप–समितियों की नियुक्ति

वार्ड समिति, समय–समय पर, जैसा उचित समझे, उपसमितियों की नियुक्ति कर सकेगी, और वार्ड समिति को सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में राय देने या जांच करने हेतु ऐसी उपसमितियों को मामला संदर्भित कर सकेगी।

57. (च) वार्ड सभा

(1) ऐसी नगरपालिका के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो, वहां प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सभा गठित की जायेगी जिसके सदस्य उस वार्ड से संबंधित

निर्वाचन सूची में दर्ज सभी निर्वाचक होंगे।

(2) वार्ड सभा अपने वार्ड से संबंधित कृत्यों का सम्पादन एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी जो क्षेत्र सभा, धारा–45 के अधीन अपने क्षेत्र के लिए करती है।

(3) हर वार्ड सभा बैठक प्रत्येक दो महीनों में एक बार होगी और बैठक के कारोबार का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

57. (छ) क्षेत्रों का निर्धारण — एक लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के मामले में राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करेगी–

(क) क्षेत्र (एरिया) जिसमें प्रत्येक वार्ड विभाजित किया जायेगा, तथा

(ख) यथा संभव दो या दो से अधिक किंतु पॉच से अनधिक समीपवर्ती मतदान केन्द्र वाले क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र में रखा जा सकेगा।

57. (ज) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि — प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि होगा जो परिषद द्वारा नामित किया जायेगा।

57. (झ) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि होने के अर्हताएं — क्षेत्र में पंजीकृत कोई भी मतदाता क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के रूप में विचार हेतु परिषद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यदि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य विधान सभा अथवा इस अधिनियम के अधीन पार्षद निर्वाचित होने के लिए अनर्ह न हो।

57. (ञ) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का नामांकन — परिषद आवेदकों में से एक को क्षेत्र सभा प्रतिनिधि नामित करेगी और नामांकन की रीति वही होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

57. (त) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि की पदावधि — क्षेत्र सभा प्रतिनिधि अपने पद को परिषद के कार्यकाल के समंतक धारण करेगा।

57. (थ) क्षेत्र (एरिया) सभा

(1) क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर धारा–40 के अधीन नियत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र (एरिया) सभा गठित की जायेगी।

(2) क्षेत्र (एरिया) सभा निम्न कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों

का निवर्हन करेगी, अर्थात्–

(क) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियत मापदण्ड के आधार पर लाभार्थी–परक योजनाओं के लिए क्षेत्र के भीतर योग्य व्यक्तियों की पहचान करना,

(ख) राज्य/केन्द्र सरकारों से कल्याणकारी सहायता यथा पेंशन एवं सब्सिडी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की योग्यता सत्यापित करना;

(ग) क्षेत्र के भीतर मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक जलकल, सामुदायिक/सार्वजनिक सफाई इकाई तथा अन्य सार्वजनिक सुख–सुविधाओं हेतु स्थल सुझाना,

(घ) क्षेत्र के भीतर जलापूर्ति एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्थाओं में कमियों की पहचान करना और सुधार के साधन सुझाना,

(ङ) शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषकर रोगों की रोकथाम, परिवार कल्याण केन्द्रों की गतिविधियों में सहायता करना और महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को तुरन्त सूचित करना;

(च) लोकहित के मामले यथा साफ–सफाई, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम के मामलों पर जागरूक करना,

(छ) क्षेत्र में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द एवं एकता प्रोन्नत करना,

(ज) क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा को उजागर करने हेतु सांस्कृतिक पर्व, खेलकूद समारोह आदि आयोजित करना, और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य एवं कर्तव्य जो नगरपालिका द्वारा समय–समय पर क्षेत्र (एरिया) सभा को सौंपे जाय।

(3) प्रत्येक क्षेत्र सभा की दो महीने में एक बार बैठक होगी और बैठक में कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा नियमों में राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

3. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–4 के पश्चात् अध्याय–4 (क) जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा :

अध्याय–4 (क)
झारखण्ड सम्पत्ति कर परिषद्

163. (क) (1) झारखण्ड सम्पत्ति कर परिषद की रचना–

झारखण्ड सम्पत्ति कर

(क) परिषद में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे,

(ख) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो सचिव, जिसमें पदेन सचिव भी है, स्तर से अनिम्न स्तर का राज्य

परिषद सरकार का कोई पदाधिकारी हो या रहा हो,

(ग) अन्य सदस्यों में नगरीय प्रशसन, सम्पत्तियों के मूल्यांकन, लेखा, विधि, अभियंत्रण तथा नगरीय नियोजन के क्षेत्रों में ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले भामिल होंगे, जैसा राज्य सरकार नियत करे,

(घ) परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे तथा वेतन एवं भत्तों सहित उनकी सेवा की भार्तें और बंधेज ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय,

(ङ) परिषद का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं दूसरों को सदस्य नियुक्त करेगी।

(3) परिषद के कृत्य–

(क) राज्य में सभी नगरपालिकाओं की समस्त सम्पत्तियों का परिगणन करना या करवाना और आंकड़ा आधार विकसित करना,

(ख) सम्पत्ति कर प्रणाली का पुनर्विलोकन करना और सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु समुचित आधार सुझाना,

(ग) सम्पत्तियों के मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया परिकल्पित तथा प्रतिपादित करना,

(घ) राज्य की नगरपालिकाओं में केन्द्र, राज्य या नगरपालिका सम्पत्तियों एवं छूट प्रदान सम्पत्तियों सहित सम्पूर्ण सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या करवाना,

(ङ) नियतकालिक संशोधन हेतु प्रणाली (रूप) अनुशंसित करना,

(च) सम्पत्ति कर विवादों एवं अपीलों का अधिनिर्णय करना,

(छ) सम्पत्तियों के मूल्यांकन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना,

(ज) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और स्पष्ट तुलना हेतु मूल्यांकनों का प्रकटीकरण सरल करना,

(झ) सरकार के शासकीय राजपत्र में वार्षिक कार्य–योजना को प्रकाशित करना,

(ञ) नगरपालिका के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की, जैसा राज्य सरकार निदेशित करे या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिषद

द्वारा आवश्यक समझा जाय, स्वयं या किसी संस्थान के माध्यम से व्यवस्था करना,

(ट) मूल्यांकन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों जिसमें भूमि तथा भवनों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता का विकास भामिल है, का निष्पादन करना, और

(ठ) नगरपालिका को सम्पत्तियों के मूल्यांकन पर ऐसा परामर्श, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे या इस अधिनियम के उद्दश्यों हेतु परिषद आवश्यक समझे, देना।

(4) नियम बनाने की भ्राक्ति–

(क) इस धारा के प्रयोजनों को लागू करने हेतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी,

(ख) विषेशकर, और पूर्वोक्त भाक्तियों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, राज्य सरकार परिषद के संगठन, परिषद की बैठकों, परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित मामले, कार्य की प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में नियम बना सकेगी; ऐसे नियम सभी या किसी मामले के लिए जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या है, उपबंधित होंगे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

(5) विनियम बनाने की भ्राक्ति–

(क) परिषद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने हेतु, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के सुसंगत विनियम बना सकेगी,

(ख) राज्य सरकार ऐसा अनुमोदन करते समय ऐसी वृद्धि, परिवर्तन और सुधार कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे:

परन्तु यह कि ऐसे परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार करने से पूर्व राज्य सरकार परिषद को उस पर अपनी राय, दो माह से अनधिक अवधि के भीतर, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, व्यक्त करने का अवसर देगी,

(ग) परिषद द्वारा बनाये गए और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त विनियम भासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

(6) वार्षिक रिपोर्ट–
परिषद वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का एक वार्षिक प्रतिवेदन ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करेगी, और राज्य सरकार रिपोर्ट को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

4. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–12 के पश्चात् अध्याय–12 (क) जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा :

अध्याय–12 (क)
जन साधारण को सूचना का प्रकटीकरण

380. (क) प्रगटीकरण के सम्बन्ध में नगर पालिका की बाध्यता

(1) प्रत्येक नगरपालिका,–

(क) अपने समस्त अभिलेखों को ऐसे तरीके व प्रारूप में वर्गीकृत एवं सूचीबद्व करके, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका प्राधिकारी को वांछित सूचना को नियमित अन्तराल पर जनता को प्रकट करने की सुविधा प्रदान करे, अनुरक्षित करेगी;

(ख) सुनिश्चित करेगी कि सभी अभिलेख, युक्तियुक्त समय में जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से दो माह से अनधिक हो, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत हो जाए और नेटवक्र से जुड़ जाये, जिससे ऐसे अभिलेख तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध हो सके।

(2) नगरपालिका निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगी, जैसे–

(क) नगरपालिका के विवरण;

(ख) नगर परिषद, समितियॉ और अन्य निकाय, जिन्हें किसी भी नाम से जाना जाये, जो नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग, और कार्यो का सम्पादन या उसको सलाह देने के उद्देश्य से गठित की गई हों, के गठन को दिखाते हुए कथन;

(ग) नगर परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या नहीं का कथन;

(घ) नगर परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त;

(ङ) अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका;

(च) नगरपालिका के किसी क्रियाकलाप के लिए छूट, परमिट का प्राधिकार मंजूर करने वाले

पदाधिकारियों का विवरण;

(छ) त्रैमासिक आधार पर, नकदी प्रवाह, सांविधिक संपरीक्षित तुलन पत्र, वित्तीय–विवरण, आय और व्यय, प्राप्ति और भुगतान, प्रत्येक त्रैमासिक की समाप्ति के दो माह के भीतर; और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह के अन्दर;

(ज) नगरपालिका द्वारा प्रदत्त प्रत्येक सेवा और प्रत्येक सेवा का स्तर दिखाते हुए कथन;

(झ) प्रत्येक वार्ड (कक्ष) के लिए प्रावधानों यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका का वार्षिक बजट;

(ञ) सभी योजनाओं का विवरण; और वर्ष के दौरान प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों पर प्रस्तावित व्यय के साथ प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों पर वास्तविक व्यय;

(ट) प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों में आवंटित धनराशि को भामिल करते हुए सब्सिडी कार्यक्रमों का विवरण; और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन का आधार;

(ठ) नगर पालिका के विकास से संबंधित महानगर योजना, शहरी विकास योजना, या कोई अन्य योजना का विवरण;

(ड) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रमुख कार्यो का विवरण, जिसमें लागत, आरम्भ एवं पूर्ण होने का समय और कार्यदायी संस्था का विवरण शामिल हो;

(ढ) पूर्व वर्ष में निम्न प्रकार से हुई आय का विवरण–

(i) करों, ड्यूटी, उपकर, अधिभार, सम्पत्तियो से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों से शुल्क,

(ii) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित करों का नगरपालिका को हस्तांतरित अंश,

(iii) राज्य/केन्द्र सरकारों या अन्य अभिकरणों द्वारा कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिये गये अनुदान और उपयोगिता की प्रकृति एवं सीमा,

(iv) लोक या गैर सरकारी अभिकरणों से अंशदान या दान द्वारा उद्ग्रहीत धनराशि और उसकी उपयोगिता की प्रकृति एवं

सीमा;

(ण) वसूल न किये गये करों, महसूलों, उपकरों और अधिभार, सम्पत्तियों से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों से शुल्क का विवरण और वसूल न होने के कारण;

(त) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

380. (ख) जन–प्रकटीकरण के सम्बन्ध में वार्ड समिति की बाध्यता

(1) वार्ड समिति अपने वित्तीय लेन–देन का त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार करेगी।

(2) वार्ड समिति का प्रतिवेदन लोक संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

380. (ग) प्रकटीकरण का तरीका

(1) प्रकटीकरण के तरीके में भामिल होंगे –

(क) क्षेत्रीय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में समाचार–पत्र,

(ख) इन्टरनेट और वेबसाइट,

(ग) नगरपालिका, जोनल और वार्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट,

(घ) स्थानीय प्रसार भारती, स्थानीय केबिल और अन्य टी0वी0 चैनल या किसी अन्य ढंग से, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, प्रसारण।

(2) सूचना उस भाषा में प्रकट की जायेगी जिसमें वह नगरपालिका के पास उपलब्ध हो।

5. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 1922 के अध्याय–13 के पश्चात् अध्याय–13 (क) जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा :

अध्याय–13 (क)
नगरपालिका लोकपाल

387. (क) नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति और कार्यकाल

(1) धारा–64 में उपबंधित कृत्यों के निष्पादन हेतु, राज्य सरकार, नगरपालिका लोकपाल नाम से ज्ञात एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति, सरकार द्वारा इस उद्देश्य से गठित तीन सदस्यों की चयन समिति की अनुशंसा पर कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति में शामिल होंगे–

(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव,

(ख) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित

राज्य लोक सेवा आयोग का एक सदस्य,

(ग) लोक प्रशासन में बीस वर्ष से अन्यून अनुभव वाला ख्यातिलब्ध एक व्यक्ति जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी ।

(3) नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु पचपन वर्ष होगी।

(4) नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी:

परन्तु यह कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसा के अधीन, नगर पालिका लोकपाल की पदावधि पैंसठ वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी।

(5) नगर पालिका लोकपाल अपना सम्पूर्ण समय अपने पद को समर्पित करेगा।

(6) राज्य सरकार समाधान हो जाने पर, लोकहित में या अक्षमता के कारण जब ऐसा करना आवश्यक हो, कारणों को अभिलिखित करते हुए और तीन माह की सूचना देकर या उपर्युक्त सूचना के स्थान पर तीन माह का एकमुशत पारिश्रमिक देकर, पद से हटा सकेगी।

387. (ख) नगर पालिका लोकपाल की शक्तियां और कृत्य

नगर पालिका लोकपाल के निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी–

(i) किसी भी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों को प्राप्त करना,

(ii) उपर्युक्त शिकायतों पर विचार करना, और नगरपालिका तथा व्यथित पक्षकार के बीच समझौता या सुलह द्वारा इस निमित्त अधिनिर्णय पारित करके संतोषप्रद ढंग से निपटारा सुसाध्य करना,

(iii) पदाधिकारियों, महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और पार्षदों के पदीय भ्रष्टाचार की शिकायतों की जॉच पड़ताल करना, और

(iv) नगरपालिकाओं के मध्य या नगरपालिका और उसकी जनता के मध्य उपजे विवादों का मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1996) के उपबन्धों के अनुसार मध्यस्थम द्वारा, विरोधी दलों के बीच

सम्मत समाधान करना।

387. (ग) क्षेत्रीय अधिकारिता

(1) राज्य सरकार नगर पालिका लोकपाल के प्राधिकार की क्षेत्रीय सीमा के विस्तार को विनिश्चित करेगी।

(2) (क) नगर पालिका लोकपाल का कार्यालय ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जैसा राज्य सरकार विहित करे,

(ख) नगर पालिका लोकपाल, शिकायतों का शीघ्र निस्तारण या मध्यस्थम कार्यवाही का संचालन करने हेतु, अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी स्थान में बैठक कर सकेगा।

387. (घ) अर्हतायें, पारिश्रमिक, और कार्यालय

(1) नगर पालिका लोकपाल ख्यातिलब्ध व्यक्ति होगा और लोक सेवाओं या लोक प्रशसन या नगरपालिका प्रशसन या प्रबन्धन का अनुभव युक्त होगा, और यदि ऐसा व्यक्ति लोकसेवक हो, वह राज्य सरकार में सचिव की कोटि से अन्यून या राज्य में क्षेत्राधिकार रखने वाला जिला न्यायाधीश होगा।

(2) नगर पालिका लोकपाल को देय पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं वैसी होगी जैसा राज्य सरकार समय–समय पर विहित करे।

(3) नगर पालिका लोकपाल को आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूरित एक कार्यालय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) नगर पालिका लोकपाल अपने कार्यालय पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) नगर पालिका लोकपाल, राज्य सरकार के परामर्श से अपने कार्यालय के लिए वार्षिक बजट तैयार करेगा और बजट में उपबंधित आवंटन से अपने कार्यालय हेतु खर्च करने की शक्ति रखेगा।

387. (ड.) समीक्षा प्राधिकार

राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से अवधारित शर्तो एवं बंधेजों पर एक समीक्षा प्राधिकार, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, की स्थापना करेगी, जिसके समक्ष नगर पालिका लोकपाल के आदेश या निर्णय से व्यथित पक्षकार समीक्षा करने की अपील कर सकेगा।

387. (च) प्रचार — राज्य सरकार और नगरपालिका जनता की सूचना के लिए इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति का पर्याप्त प्रचार प्रसार करेगी।

387. (छ) नियमों को बनाने की शक्ति — राज्य सरकार, नगर पालिका लोकपाल के परामर्श से निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है–

(i) शिकायतों/व्यथाओं को दाखिल करने का आधार एवं प्रक्रिया,
(ii) व्यथाओं को दूर करने की प्रक्रिया,
(iii) शिकायतों का समझौतों द्वारा निपटारा,
(iv) नगर पालिका लोकपाल द्वारा अधिनिर्णय,
(v) शिकायतों को नामंजूर करना,
(vi) समीक्षा प्राधिकार के सम्मुख कार्यवाही,
(vii) मध्यस्थ के रूप में नगर पालिका लोकपाल की शक्तियों और कार्य की प्रक्रिया, तथा अधिनिर्णय की अधिसूचना एवं लागू करना, तथा
(viii) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा उपबंधित करना अपेक्षित हो।

खण्ड–III
राँची नगर निगम अधिनियम–2001 में संशोधन

6. राँची नगर निगम अधिनियम – 2001 के अध्याय–V के पश्चात् अध्याय–V 'A' जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा ।

अध्याय–V 'A'

वार्ड समितियों, क्षेत्र सभाओं एवं अन्य समितियों का गठन

70. (क) वार्ड समितियों का गठन — (1) परिषद के निर्वाचन के दो महीनों के भीतर नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति गठित की जायेगी।

(2) प्रत्येक वार्ड समिति में शामिल होंगे–

(क) नगरपालिका वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला पार्षद, जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा;
(ख) वार्ड में स्थित क्षेत्रों के क्षेत्र सभा प्रतिनिधि;
(ग) वार्ड से सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अनधिक, परिषद द्वारा यथा विहित रीति से नामित व्यक्ति:

परंतु यह कि यदि वार्ड की जनसंख्या पांच हजार से अधिक नहीं है तो प्रथम दो हजार की जनसंख्या पर ऐसे

सदस्यों की संख्या चार होगी और उसके पश्चात् प्रत्येक दो हजार की आबादी अथवा उसके भाग के लिए एक अतिरिक्त सदस्य होगाः

परंतु यह और कि खण्ड (ग) अधीन नामित सदस्यों में कम से कम एक तिहाई सदस्य वार्ड में पंजीकृत कल्याण संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों से होंगेः

परन्तु यह भी कि खण्ड (ग) के अधीन नामित सदस्यों में पचास प्रतिशत से अन्यून महिलायें होंगी।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजन के लिए "सिविल सोसाइटी" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित, गठित या पंजीकृत तथा सामाजिक कल्याण में कार्यरत कोई गैर सरकारी संगठन या व्यक्तियों की संस्था अभिप्रेत है, और इसमें कोई समुदाय आधारित संगठन, वृत्तिक संस्था और नागरिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक या सांस्कृतिक निकाय या कोई व्यापार या औद्योगिक संगठन और ऐसे अन्य संघ या निकाय, जैसा राज्य सरकार विहित करे, शामिल होंगे।

(3) कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन वार्ड समिति का सदस्य नामित किए जाने के लिए या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन वह नगरपालिका के पार्षद के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिए अनर्ह हो।

(4) वार्ड समिति का अध्यक्ष नगरपालिका के कार्यो से सम्बद्व किसी सरकारी विभाग के पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार, उस विभाग से संबंधित समस्याओं के संबंध में भाग लेने के लिए विशिष्ट आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकता हैः

परंतु यह कि वार्ड समिति का अध्यक्ष सिविल सोसाइटी, जिसका वार्ड सभा में प्रतिनिधित्व न हो के किसी प्रतिनिधि को समिति की बैठकों एवं विचार–विमर्श में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकता है।

(5) नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नामित कोई पदाधिकारी वार्ड समिति का सचिव होगा। सचिव, वार्ड समिति की बैठकों की कार्यवाही का सम्पूर्ण कार्यवृत्त रखेगा और प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ, बैठक के दस दिन

के भीतर नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित करेगा।

(6) वार्ड समिति की समयावधि परिषद की समयावधि की सह–विस्तारी होगी।

(7) वार्ड समिति की बैठकों में कारोबार का संचालन यथाविहित रीति के अनुसार होगा।

70. (ख) वार्ड समिति के कृत्य

वार्ड समिति, वार्ड में निम्न कृत्यों का निर्वहन करेगी:

(i) पर्यवेक्षण

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन,

(ख) सफाई कार्य,

(ग) जलापूर्ति का वितरण,

(घ) पार्क, क्रीड़ांगन एवं बाजार स्थलों का अनुरक्षण,

(ङ) मार्ग प्रकाश का रख–रखाव, सड़कों की मरम्मत, तथा

(च) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं का क्रियान्वयन;

(ii) नगरपालिका के नियंत्रण वाले स्कूलों, औषधालयों, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि की मानीटरिंग;

(iii) विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता;

(iv) नगरपालिका के परिसंम्पत्तियों की सूची तैयार करना

(v) जनता के विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द एवं एकता बनाने हेतु प्रोत्साहित करना;

(vi) कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और सामान या धन के रूप में दान संघटित करना;

(vii) विकास एवं कल्याण योजनाओं के कियान्वयन में लाभर्थियों को चिन्हित करने में सहायता प्रदान करना;

(viii) कला एवं सांस्कृतिक तथा क्रीड़ा एवं खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन;

(ix) नगरपालिका की विकास परक गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्वैच्छिक गतिविधियों में जन सहभागिता सुनिश्चित करना;

(x) नगरपालिका को देय कर, शुल्क तथा अन्य धनराशि की वसूली में मदद देना;

(xi) अन्य कृत्य, जैसा विहित किया जाये।

70. (ग) वार्ड

(1) वार्ड समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वार्ड से संबंधित

समिति के अधिकार		किसी भी मामले में नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से सूचना मांगने का अधिकार होगा।
	(2)	प्रत्येक वार्ड समिति को अधिकार होगा – (क) नगरपालिका के मास्टर प्लान एवं विकास योजनाओं के संबंध में सूचना प्राप्त करना, (ख) वार्ड से संबंधित किसी मामले में नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करना, (ग) नगरपालिका के बजट एवं वार्ड संबंधी राजस्व के मामलों में सूचना प्राप्त करना, तथा (घ) वार्ड के अन्तर्गत भूमि के उपयोग एवं क्षेत्रीय विनियमन में परामर्श लिया जाना।
70. (घ) निधियों का आवंटन	(1)	नगरपालिका अपने अनुरक्षण उपबन्ध के अन्तर्गत उद्दिष्ट बजट से बीस प्रतिशत धनराशि वार्ड समितियों को, जलापूर्ति, सफाई, नालियों, मार्ग प्रकाश, पाक्र, बाजार आदि सेवाओं हेतु आवंटित करेगी।
	(2)	नागरिक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु वार्ड समितियों को धनराशि का आवंटन एवं उसका उपयोग सरकार द्वारा विहित रीति में किया जायेगा।
70. (ड.) उप–समितियों की नियुक्ति		वार्ड समिति, समय–समय पर, जैसा उचित समझे, उपसमितियों की नियुक्ति कर सकेगी, और वार्ड समिति को सौंपे गये कार्यों के सम्बन्ध में राय देने या जांच करने हेतु ऐसी उपसमितियों को मामला संदर्भित कर सकेगी।
70. (च) वार्ड सभा	(1)	ऐसी नगरपालिका के मामले में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो, वहां प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड सभा गठित की जायेगी जिसके सदस्य उस वार्ड से संबंधित निर्वाचन सूची में दर्ज सभी निर्वाचक होंगे।
	(2)	वार्ड सभा अपने वार्ड से संबंधित कृत्यों का सम्पादन एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी जो क्षेत्र सभा, धारा–45 के अधीन अपने क्षेत्र के लिए करती है।
	(3)	हर वार्ड सभा बैठक प्रत्येक दो महीनों में एक बार होगी और बैठक के कारोबार का संचालन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा नियमों में विहित किया जाय।

70.	(छ) क्षेत्रों का निर्धारण	एक लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के मामले में राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्धारित करेगी– (क) क्षेत्र (एरिया) जिसमें प्रत्येक वार्ड विभाजित किया जायेगा, तथा (ख) यथा संभव दो या दो से अधिक किंतु पॉच से अनधिक समीपवर्ती मतदान केन्द्र वाले क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र में रखा जा सकेगा।
70.	(ज) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि	प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि होगा जो परिषद द्वारा नामित किया जायेगा।
70.	(झ) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि होने के अर्हताएं	क्षेत्र में पंजीकृत कोई भी मतदाता क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के रूप में विचार हेतु परिषद के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यदि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन राज्य विधान सभा अथवा इस अधिनियम के अधीन पार्षद निर्वाचित होने के लिए अनर्ह न हो।
70.	(ञ) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का नामांकन	परिषद आवेदकों में से एक को क्षेत्र सभा प्रतिनिधि नामित करेगी और नामांकन की रीति वही होगी, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।
70.	(त) क्षेत्र सभा प्रतिनिधि की पदावधि	क्षेत्र सभा प्रतिनिधि अपने पद को परिषद के कार्यकाल के समंतक धारण करेगा।
70.	(थ) क्षेत्र (एरिया) सभा	(1) क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर धारा–40 के अधीन नियत प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र (एरिया) सभा गठित की जायेगी। (2) क्षेत्र (एरिया) सभा निम्न कृत्यों का सम्पादन तथा कर्तव्यों का निवर्हन करेगी, अर्थात्– (क) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियत मापदण्ड के आधार पर लाभार्थी–परक योजनाओं के लिए क्षेत्र के भीतर योग्य व्यक्तियों की पहचान करना, (ख) राज्य/केन्द्र सरकारों से कल्याणकारी सहायता यथा पेंशन एवं सब्सिडी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की योग्यता सत्यापित करना; (ग) क्षेत्र के भीतर मार्ग प्रकाश, सार्वजनिक जलकल, सामुदायिक/सार्वजनिक सफाई इकाई तथा अन्य सार्वजनिक सुख–सुविधाओं हेतु स्थल सुझाना,

(घ) क्षेत्र के भीतर जलापूर्ति एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्थाओं में कमियों की पहचान करना और सुधार के साधन सुझाना,

(ङ) शहरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, विशेषकर रोगों की रोकथाम, परिवार कल्याण केन्द्रों की गतिविधियों में सहायता करना और महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं को तुरन्त सूचित करना;

(च) लोकहित के मामले यथा साफ–सफाई, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम के मामलों पर जागरूक करना,

(छ) क्षेत्र में लोगों के विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द एवं एकता प्रोन्नत करना,

(ज) क्षेत्र के लोगों की प्रतिभा को उजागर करने हेतु सांस्कृतिक पर्व, खेलकूद समारोह आदि आयोजित करना, और

(झ) ऐसे अन्य कृत्य एवं कर्तव्य जो नगरपालिका द्वारा समय–समय पर क्षेत्र (एरिया) सभा को सौंपे जाय।

(3) प्रत्येक क्षेत्र सभा की दो महीने में एक बार बैठक होगी और बैठक में कार्य संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा नियमों में राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

7. राँची नगर निगम अधिनियम – 2001 के अध्याय–X के पश्चात् अध्याय–X 'A' जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा

अध्याय–10 (क)
झारखण्ड सम्पत्ति कर परिषद्

185. झारखण्ड सम्पत्ति कर परिषद

(1) झारखण्ड सम्पत्ति कर परिषद की रचना–

(क) परिषद में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे,

(ख) अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो सचिव, जिसमें पदेन सचिव भी है, स्तर से अनिम्न स्तर का राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी हो या रहा हो,

(ग) अन्य सदस्यों में नगरीय प्रशसन, सम्पत्तियों के मूल्यांकन, लेखा, विधि, अभियंत्रण तथा नगरीय नियोजन के क्षेत्रों में ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले भामिल होंगे, जैसा राज्य सरकार नियत करे,

(घ) परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे तथा वेतन एवं भत्तों सहित उनकी सेवा की भार्तें और बंधेज ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय,

(ङ) परिषद का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार

		द्वारा नियुक्त होगा।
185.	(ख) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति	अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं दूसरों को सदस्य नियुक्त करेगी।
185.	(ग) परिषद के कृत्य	(क) राज्य में सभी नगरपालिकाओं की समस्त सम्पत्तियों का परिगणन करना या करवाना और आंकड़ा आधार विकसित करना, (ख) सम्पत्ति कर प्रणाली का पुनर्विलोकन करना और सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु समुचित आधार सुझाना, (ग) सम्पत्तियों के मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया परिकल्पित तथा प्रतिपादित करना, (घ) राज्य की नगरपालिकाओं में केन्द्र, राज्य या नगरपालिका सम्पत्तियों एवं छूट प्रदान सम्पत्तियों सहित सम्पूर्ण सम्पत्तियों का मूल्यांकन करना या करवाना, (ङ) नियतकालिक संशोधन हेतु प्रणाली (रूप) अनुशंसित करना, (च) सम्पत्ति कर विवादों एवं अपीलों का अधिनिर्णय करना, (छ) सम्पत्तियों के मूल्यांकन में गुणवत्ता सुनिश्चित करना, (ज) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और स्पष्ट तुलना हेतु मूल्यांकनों का प्रकटीकरण सरल करना, (झ) सरकार के शासकीय राजपत्र में वार्षिक कार्य–योजना को प्रकाशित करना, (ञ) नगरपालिका के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की, जैसा राज्य सरकार निदेशित करे या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिषद द्वारा आवशयक समझा जाय, स्वयं या किसी संस्थान के माध्यम से व्यवस्था करना, (ट) मूल्यांकन के क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों जिसमें भूमि तथा भवनों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता का विकास भामिल है, का निष्पादन करना, और (ठ) नगरपालिका को सम्पत्तियों के मूल्यांकन पर ऐसा परामर्श, जैसा राज्य सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे या इस अधिनियम के उद्दश्यों हेतु परिषद आवश्यक समझे, देना।
185.	(घ) नियम	(क) इस धारा के प्रयोजनों को लागू करने हेतु राज्य

बनाने की शक्ति

सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी,

(ख) विषेशकर, और पूर्वोक्त भाक्तियों की सामान्यता के पूर्वाग्रह के बिना, राज्य सरकार परिषद के संगठन, परिषद की बैठकों, परिषद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित मामले, कार्य की प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में नियम बना सकेगी; ऐसे नियम सभी या किसी मामले के लिए जो विहित किया जाना अपेक्षित हो या है, उपबंधित होंगे।

(ग) राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

185. (च) विनियम बनाने की शक्ति

(क) परिषद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने हेतु, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबंधों के सुसंगत विनियम बना सकेगी,

(ख) राज्य सरकार ऐसा अनुमोदन करते समय ऐसी वृद्धि, परिवर्तन और सुधार कर सकेगी, जैसा वह उचित समझे:

परन्तु यह कि ऐसे परिवर्धन, परिवर्तन या सुधार करने से पूर्व राज्य सरकार परिषद को उस पर अपनी राय, दो माह से अनधिक अवधि के भीतर, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, व्यक्त करने का अवसर देगी,

(ग) परिषद द्वारा बनाये गए और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समस्त विनियम भासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे।

185. (छ) वार्षिक रिपोर्ट

परिषद वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का एक वार्षिक प्रतिवेदन ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करेगी, और राज्य सरकार रिपोर्ट को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

8. राँची नगर निगम अधिनियम – 2001 के अध्याय–XXXII के पश्चात् अध्याय–XXXII 'A' जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा

अध्याय–32 (क)
नगरपालिका लोकपाल

543. (क) नगर

(1) धारा–64 में उपबंधित कृत्यों के निष्पादन हेतु, राज्य सरकार,

पालिका लोकपाल की नियुक्ति और कार्यकाल

नगरपालिका लोकपाल नाम से ज्ञात एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति, सरकार द्वारा इस उद्देश्य से गठित तीन सदस्यों की चयन समिति की अनुशंसा पर कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति में शामिल होंगे–

(क) राज्य सरकार का मुख्य सचिव,

(ख) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित राज्य लोक सेवा आयोग का एक सदस्य,

(ग) लोक प्रशसन में बीस वर्ष से अन्यून अनुभव वाला ख्यातिलब्ध एक व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा मनोनित होंगे।

(3) नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु पचपन वर्ष होगी।

(4) नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए की जायेगी:

परन्तु यह कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट चयन समिति की अनुशंसा के अधीन, नगर पालिका लोकपाल की पदावधि पैंसठ वर्ष की आयु सीमा के अध्यधीन रहते हुए तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ायी जा सकेगी।

(5) नगर पालिका लोकपाल अपना सम्पूर्ण समय अपने पद को समर्पित करेगा।

(6) राज्य सरकार समाधान हो जाने पर, लोकहित में या अक्षमता के कारण जब ऐसा करना आवश्यक हो, कारणों को अभिलिखित करते हुए और तीन माह की सूचना देकर या उपर्युक्त सूचना के स्थान पर तीन माह का एकमुशत पारिश्रमिक देकर, पद से हटा सकेगी।

543. (ख) नगर पालिका लोकपाल की शक्तियां और कृत्य

नगर पालिका लोकपाल के निम्नलिखित कार्य और शक्तियां होंगी–

(v) किसी भी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका की सेवाओं से सम्बन्धित शिकायतों को प्राप्त करना,

(vi) उपर्युक्त शिकायतों पर विचार करना, और नगरपालिका तथा व्यथित पक्षकार के बीच समझौता या सुलह द्वारा इस निमित्त अधिनिर्णय पारित करके संतोषप्रद ढंग से निपटारा सुसाध्य करना,

(vii) पदाधिकारियों, महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और पार्षदों के पदीय भ्रष्टाचार की

शिकायतों की जॉच पड़ताल करना, और

(viii) नगरपालिकाओं के मध्य या नगरपालिका और उसकी जनता के मध्य उपजे विवादों का मध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1996) के उपबन्धों के अनुसार मध्यस्थम द्वारा, विरोधी दलों के बीच सम्मत समाधान करना।

543. (ग) क्षेत्रीय अधिकारिता

(1) राज्य सरकार नगर पालिका लोकपाल के प्राधिकार की क्षेत्रीय सीमा के विस्तार को विनिश्चित करेगी।

(2) (क) नगर पालिका लोकपाल का कार्यालय ऐसे स्थान पर अवस्थित होगा जैसा राज्य सरकार विहित करे,

(ख) नगर पालिका लोकपाल, शिकायतों का शीघ्र निस्तारण या मध्यस्थम कार्यवाही का संचालन करने हेतु, अपने क्षेत्राधिकार की सीमा में, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी स्थान में बैठक कर सकेगा।

543. (घ) अर्हतायें, पारिश्रमिक, और कार्यालय

(1) नगर पालिका लोकपाल ख्यातिलब्ध व्यक्ति होगा और लोक सेवाओं या लोक प्रशसन या नगरपालिका प्रशसन या प्रबन्धन का अनुभव युक्त होगा, और यदि ऐसा व्यक्ति लोकसेवक हो, वह राज्य सरकार में सचिव की कोटि से अन्यून या राज्य में क्षेत्राधिकार रखने वाला जिला न्यायाधीश होगा।

(2) नगर पालिका लोकपाल को देय पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं वैसी होगी जैसा राज्य सरकार समय–समय पर विहित करे।

(3) नगर पालिका लोकपाल को आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से पूरित एक कार्यालय उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) नगर पालिका लोकपाल अपने कार्यालय पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण की सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसके कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) नगर पालिका लोकपाल, राज्य सरकार के परामर्श से अपने कार्यालय के लिए वार्षिक बजट तैयार करेगा और बजट में उपबंधित आवंटन से अपने कार्यालय हेतु खर्च करने की शक्ति रखेगा।

543. (ड.) समीक्षा प्राधिकार

राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से अवधारित शर्तो एवं बंधेजों पर एक समीक्षा प्राधिकार, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, की स्थापना करेगी, जिसके समक्ष नगर पालिका लोकपाल के आदेश या निर्णय से व्यथित पक्षकार

समीक्षा करने की अपील कर सकेगा।

543. (च) प्रचार — राज्य सरकार और नगरपालिका जनता की सूचना के लिए इस अधिनियम के अधीन नगर पालिका लोकपाल की नियुक्ति का पर्याप्त प्रचार प्रसार करेगी।

543. (छ) नियमों को बनाने की शक्ति — राज्य सरकार, नगर पालिका लोकपाल के परामर्श से निम्नलिखित विषयों पर नियम बना सकती है–

(ix) शिकायतों/व्यथाओं को दाखिल करने का आधार एवं प्रक्रिया,

(x) व्यथाओं को दूर करने की प्रक्रिया,

(xi) शिकायतों का समझौतों द्वारा निपटारा,

(xii) नगर पालिका लोकपाल द्वारा अधिनिर्णय,

(xiii) शिकायतों को नामंजूर करना,

(xiv) समीक्षा प्राधिकार के सम्मुख कार्यवाही,

(xv) मध्यस्थ के रूप में नगर पालिका लोकपाल की शक्तियों और कार्य की प्रक्रिया, तथा अधिनिर्णय की अधिसूचना एवं लागू करना, तथा

(xvi) कोई अन्य विषय जो नियमों द्वारा उपबंधित करना अपेक्षित हो।

9. राँची नगर निगम अधिनियम – 2001 के अध्याय–XXXIII के पश्चात् अध्याय–XXXIII 'A' जोड़ा जायेगा जो निम्नवत् होगा

अध्याय–33 (क)
जन साधारण को सूचना का प्रकटीकरण

544. (क) प्रगटीकरण के सम्बन्ध में नगर पालिका की बाध्यता — (1) प्रत्येक नगरपालिका,–

(क) अपने समस्त अभिलेखों को ऐसे तरीके व प्रारूप में वर्गीकृत एवं सूचीबद्व करके, जो इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका प्राधिकारी को वांछित सूचना को नियमित अन्तराल पर जनता को प्रकट करने की सुविधा प्रदान करे, अनुरक्षित करेगी;

(ख) सुनिश्चित करेगी कि सभी अभिलेख, युक्तियुक्त समय में जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से दो माह से अनधिक हो, संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत हो जाए और नेटवर्क से जुड़ जाये, जिससे ऐसे अभिलेख तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध हो

सके।

(2) नगरपालिका निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगी, जैसे–

(क) नगरपालिका के विवरण;

(ख) नगर परिषद, समितियॉ और अन्य निकाय, जिन्हें किसी भी नाम से जाना जाये, जो नगरपालिका की शक्तियों का प्रयोग, और कार्यों का सम्पादन या उसको सलाह देने के उद्देश्य से गठित की गई हों, के गठन को दिखाते हुए कथन;

(ग) नगर परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं या नहीं का कथन;

(घ) नगर परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त;

(ङ) अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की निदेशिका;

(च) नगरपालिका के किसी क्रियाकलाप के लिए छूट, परमिट का प्राधिकार मंजूर करने वाले पदाधिकारियों का विवरण;

(छ) त्रैमासिक आधार पर, नकदी प्रवाह, सांविधिक संपरीक्षित तुलन पत्र, वित्तीय–विवरण, आय और व्यय, प्राप्ति और भुगतान, प्रत्येक त्रैमासिक की समाप्ति के दो माह के भीतर; और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह के अन्दर;

(ज) नगरपालिका द्वारा प्रदत्त प्रत्येक सेवा और प्रत्येक सेवा का स्तर दिखाते हुए कथन;

(झ) प्रत्येक वार्ड (कक्ष) के लिए प्रावधानों यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिका का वार्षिक बजट;

(ञ) सभी योजनाओं का विवरण; और वर्ष के दौरान प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों पर प्रस्तावित व्यय के साथ प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों पर वास्तविक व्यय;

(ट) प्रमुख सेवाओं और क्रिया–कलापों में आवंटित धनराशि को भामिल करते हुए सब्सिडी कार्यक्रमों का विवरण; और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के चयन का आधार;

(ठ) नगर पालिका के विकास से संबंधित महानगर योजना, शहरी विकास योजना, या कोई अन्य योजना का विवरण;

(ड) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रमुख कार्यो का

विवरण, जिसमें लागत, आरम्भ एवं पूर्ण होने का समय और कार्यदायी संस्था का विवरण शामिल हो;

(ढ) पूर्व वर्ष में निम्न प्रकार से हुई आय का विवरण–

(i) करों, ड्यूटी, उपकर, अधिभार, सम्पत्तियो से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों से शुल्क,

(ii) राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित करों का नगरपालिका को हस्तांतरित अंश,

(iii) राज्य/केन्द्र सरकारों या अन्य अभिकरणों द्वारा कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिये गये अनुदान और उपयोगिता की प्रकृति एवं सीमा,

(iv) लोक या गैर सरकारी अभिकरणों से अंशदान या दान द्वारा उद्ग्रहीत धनराशि और उसकी उपयोगिता की प्रकृति एवं सीमा;

(ण) वसूल न किये गये करों, महसूलों, उपकरों और अधिभार, सम्पत्तियों से किराया, अनुज्ञप्तियों और अनुमतियों से शुल्क का विवरण और वसूल न होने के कारण;

(त) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।

544. (ख) जन–प्रकटीकरण के सम्बन्ध में वार्ड समिति की बाध्यता

(1) वार्ड समिति अपने वित्तीय लेन–देन का त्रैमासिक प्रतिवेदन तैयार करेगी।

(2) वार्ड समिति का प्रतिवेदन लोक संवीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

544. (ग) प्रकटीकरण का तरीका

(1) प्रकटीकरण के तरीके में शामिल होंगे –

(क) क्षेत्रीय, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में समाचार–पत्र,

(ख) इन्टरनेट और वेबसाइट,

(ग) नगरपालिका, जोनल और वार्ड कार्यालयों के सूचना पट्ट,

(घ) स्थानीय प्रसार भारती, स्थानीय केबिल और अन्य टी0वी0 चैनल या किसी अन्य ढंग से, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय, प्रसारण।

(2) सूचना उस भाषा में प्रकट की जायेगी जिसमें वह नगरपालिका के पास उपलब्ध हो।

यह विधेयक झारखण्ड नगरपालिका कानून (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 49--50--14-9-2011 ।